

**विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।**
आदेश

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या 2413, दिनांक 15.09.2020 के आलोक में जमशेदपुर अनुभाजन क्षेत्रान्तर्गत राशनकार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के जाँचोपरान्त ग्रीन राशनकार्ड हेतु सुपात्र एवं अपात्र पाये गये आवेदक परिवार प्रमुख की प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन इस कार्यालय के आदेश झापांक 773/अनु०, दिनांक 12.11.2020 द्वारा किया जा चुका है। इसी के क्रम में सुपात्र एवं अपात्र पाये गये शेष आवेदक परिवार प्रमुख की प्रारूप प्राथमिकता सूची का प्रकाशन किया जाता है।

प्रकाशित प्रारूप प्राथमिकता सूची के आलोक में किसी को यदि कोई दावा/आपत्ति हो तो Acknowledgement की प्रति के साथ दिनांक 25.11.2020 तक किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झापांक— 786 / अनु०, दिनांक— 13/11/2020

प्रतिलिपि— जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे जिले के वेबसाईट www.jamshedpur.nic.in में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि— विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अ०क्षे०स०/कार्यपालक पदाधिकारी, मानगो नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर पालिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित प्रारूप प्राथमिकता सूची को अपने—अपने कार्यालय के सूचना पट्ट में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमशेदपुर का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संबंधित प्रारूप प्राथमिकता सूची को पंचायत सचिवालय सहित अपने कार्यालय के सूचना पट्ट में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

झापांक— 786 / अनु०, दिनांक— 13/11/2020

प्रतिलिपि— जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।